

# कृषि निदेशालय, बिहार।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-23/09

/कृ०, पटना, दिनांक

जून, 2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री बिरेन्द्र झा,  
मे० कर्नाटका एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०,  
एन०सी०-IX, गायत्री मंदिर मार्ग,  
कंकड़बाग, पटना-20

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति सं०-3, दिनांक 12.07.2010 का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन पत्र, कोषागार चालान, अन्य संगत कागजातों एवं उप निदेशक (पौ०सं०) पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता तिथि के आलोक में कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 3 दिनांक 12.07.2010 का नवीकरण दिनांक 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	ट्रेड का नाम
1	Streptomycin Sulphate + Tetracycline Hydrochloride (9:1) SP	K-Cycline

2- उपरोक्त कीटनाशी का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :- मे० कर्नाटका एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, एन०सी०-IX, गायत्री मंदिर मार्ग, कंकड़बाग, पटना-20

3- यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4- अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6- भारत सरकार से प्रतिबंधित कीटनाशी का बिक्री/भंडारण सर्वथा वर्जित है।

7- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8- अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 3, दिनांक 12.07.2010 की मूल प्रति संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/--

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

/कृ०, पटना, दिनांक 17 जून, 2015

ज्ञापांक

3349

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना